11-11-19

पत्रावली पेश हुई। पक्षकारों की उपस्थिति। प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रकरण को नोट प्रेस में विड्रो करने के एवं प्रकरण को अन्य पत्रावली के साथ उ.क्र. 2/19 के साथ करने पेश हुआ। शामिल मिसल हो। उभय पक्ष को सुना गया। प्रार्थी द्वारा, नगर सु. अधि. कोटा के आदेशानुसार निविदा राशि जमा कराया जाना व कब्जा दिया जाना स्वीकार किया जिसके आधार पर इस प्रकरण में नोट प्रेस करने की हस्तक्षेप की जिसमें कोई अन्य आपत्ति नहीं है और पत्रावली उ.क्र. 2/19 सम्बन्धी प्रकरण से सम्बन्धित कथन है अतः प्रकरण नोट प्रेस में विड्रो करने की स्वीकृति दी जाती है। पत्रावली प्रकरण उ.क्र. 2/19 के एकपक्षीय होकर दर्ज रजिस्टर की जाकर निर्णय की इत्तला लगाई जाए।

Imranam
11-11-19

लगातार.....

ESTATE OFFICER
(Addl. District Magistrate Judl.)
JAIPUR